under the charge of one Minister. Yet, during the last seven months, in some districts, not a single Minister has gone and discussed the implementation of the programme with the people of the district. If even responsible Ministers show neglect, then how far will the programme succeed? This has to be considered. It is a people's plan. It is a national plan. And on the success of this plan depends the future of the country. If it fails, then it would soon take India to bad days. Therefore, whatever shortcomings we find in the 20-point programme should be removed, and in order to achieve good results we should implement the programme with foresight and wisdom. It is with this intention that I have moved this Resolution. My intention is not to waste the valuable time of the House. So far, many political parties, and even the ruling party, have in their election manifestoes and in the national forums have been announcing different plans. But all of these plans have remained on paper. None of them have been implemented. It is in this background that the hon. Prime Minister has presented the 20-point programme as a package programme. We should give practical shape to this programme and thereby bring sun-shine in the lives of the poor people who are living in the dark in 5½ lakh villages of India and bring about their all-round development. The committees that have been set up by the Centre for the successful implementation of the programme and for guidance and for proper evaluation, are dormant and are not functioning speedily. I am sorry that I have to say this. The Minister of Planning has set up some committees for this work. I wanted to draw the attention of the hon. Minister and the House to the need of working up these committees from their slumber, so that the 20-point programme may be successfully and effectively implemented.

I would want the hon. Minister to direct all the committees that have been set up in the past at the village, city, district and national levels to work with speed.

With these words, I withdraw my Resolution.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: I will request hon. friend that in view of the fact that a Committee has been set up and at the Centre a co-ordination machinery is available, he may kindly withdraw his Resolution.

SHRI B. P. NAGARAJA MURTHY: I beg leave of the House to withdraw my Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): The question is:

That leave be granted to the Mover to withdraw his Resolution.

The motion was adopted.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION REGARDING BRINGING FORWARD LEGISLATION TO AMEND THE CONSTITUTION OF INDIA WITH A VIEW TO ELIMINATING SOCIAL AND ECONOMIC DISPARITIES, REMOVING IMPEDIMENTS IN SPEEDY IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE ECONOMIC PROGRAMMES AND ACHIEVING DEFINED TARGETS IN SOCIO-ECONOMIC FIELD

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Next Resolution. Yes, Mr. Sisodia. You can speak for ten minutes.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया (मध्य प्रदेश): सभापति जी, मैं बोलने के लिये खड़ा होने से पहले घड़ी की तरफ देख रहा हूं और आपसे भी मैं मदद मागता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र): ऐसा है शुक्रवार को टाइम ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया: मेरा सकल्प इस प्रकार है:

(क) समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विसंगतियों का उन्मूलन करना;

[श्री सवाई सिंह सिसोदिया]

(ख) प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को हटाने, और

(ग) सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और इस प्रकार भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से भारत के संविधान में संशोधन करने हेतु विधान लाने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहियें।

समय बहुत कम है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो हमारे देश की प्रधान मंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के न्याय मंत्री और जितने भी दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उन्होंने यह महसूस किया है कि भारत के संविधान में आज की आर्थिक स्थिति के लिहाज से, आज की बदली हुई परिस्थिति के लिहाज से बहुत से परिवर्तन आवश्यक है और इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं चाहता हू इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिये। यह भी मैं मानता हू कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस होने के लिये संसद् के अलावा दूसरा कोई उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव यहां सदन में रखा है। यह मुश्किल है कि आगे इस पर बहस नहीं हो सकेगी। हम देखते है कि हमारे संविधान में तीन मूलभूत बाते है– ऐतिहासिक समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और प्रजातंत्र–– इन तीनों आधारों पर हमारा संविधान बनाया गया है। युग पुरुष स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु अपने स्वतन्त्र देश के नये भवन की आधारशिला समाजवाद, प्रजातन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता––इन तीनों स्तम्भों पर रखना चाहते थे और इन आदर्शों का समावेश संविधान में भी किया गया लेकिन इन संकल्पों को साकार रूप देने के लिये इस दुनिया में अधिक नहीं रह सके। हम यह देखते है कि जो समाजवाद का स्वरूप है और जिस प्रकार की जनता की आकांक्षाएं है उनकी पूर्ति नहीं हो सकी है। इसीलिये हम महसूस करते है कि जो हमारे संविधान के दूसरे तीन मूलभूत आधार हैं––विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका––उनमें तालमेल में विरोधाभास होता है और कभी-कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि जो हम विधान बनाते है उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता। 20 सूत्री कार्यक्रम की काफी चर्चा हुई है लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ मुद्दे ऐसे है जिन पर अमल करने के लिये संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है।

संविधान संशोधन के बारे में संसद् अपने सार्वभौम अधिकार का उपयोग करता रहा है। संसद् के अधिकारों को कोई शक्ति चुनौती नहीं दे सकती है क्योंकि जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व संसद् ही नहीं है। भविष्य में संशोधन की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही तो संविधान निर्माताओं ने संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था निर्धारित कर दी है।

भारत के एकात्मक शासन में विधान मंडल कार्यपालिका पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। न्यायपालिका संसद् के समकक्ष होने का दावा नहीं कर सकती है।

भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। इनको असली रूप देने के लिये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की रचना की गई है।

संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। यदि संविधान के किसी प्रावधान के कारण प्रगति में रुकावट आ रही हो तो संविधान में संशोधन होना चाहिये। विगत 25 वर्षों में भारत के संविधान में अनेक संशोधन हुए है। लोकतन्त्री समाजवाद की व्यवस्था में इस प्रकार की प्रक्रिया स्वभाविक है।

प्रधानमंत्री के नये आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक है। सर्वोच्च सत्ता तो जनता है। इसके प्रतिनिधि संसद् सदस्य जनहित के लिये संविधान में जो कोई संशोधन करते है या कोई कानून बनाते है तो लोकहित को ध्यान में रख कर ही बनाते है।

हमारे देश में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। कायदे कानून तथा व्यवस्थाएं तभी सार्थक होती है जब उनसे लोक कल्याण हो तथा जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो। समय-समय पर यह देखना आवश्यक हो जाता है कि लोक कल्याण की दिशा में शीघ्र कदम उठाने तथा कम आय वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने में संविधान में निहित विभिन्न व्यवस्थाएं कितनी सहायक हुई हैं। संविधान के निर्माण के समय भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश कानून

एवं परम्पराओं में जकड़कर छोड़ दिया गया है। हमारे देश के बड़े-बड़े न्यायविद लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए वर्तमान न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। यह संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। संविधान में नागरिकों के आधारभूत कर्तव्यों (फण्डामेन्टल ड्यूटीज) की व्याख्या एवं व्यवस्था भी आवश्यक है। संविधान में स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में व्यावहारिक संशोधन आवश्यक है। देश के करोड़ों व्यक्ति आज भी सामाजिक न्याय से वंचित है। यह एक हकीकत है कि देश की आधी जनसंख्या एक औसत जिन्दगी से नीचे की जिन्दगी बिता रही है। हमारे संविधान में जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, क्या हम उसको वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करके प्राप्त कर सकते है?

हमारा संविधान 26 वर्ष पुराना हो चुका है। संविधान विशेषज्ञ श्री जैफरसन के अनुसार 25 वर्ष में पीढ़ी बदल जाती है। अतः लोकतन्त्र में नई पीढ़ी को अधिकार होना चाहिए कि वह अपने नये परिवेश में संविधान का पुनर्विचार करे। अब हमें अपने स्वयं के अनुभवों पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी के आधार पर अपने संविधान को नये सिरे से ढालने का समय आ गया है। जनता को संविधान के अनुरूप ढालने के बजाय जनता को सही आकांक्षाओं की पूर्ति का अधिक प्रभावी साधन संविधान को बनाया जाना चाहिए।

भारतीय संविधान में स्वीकृत मूल अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तों में विरोधाभास है। इसीलिए तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय नेहरू जी ने 1955 में लोक सभा में कहा था कि यह समय पर निर्भर करता है कि मूल अधिकारों को निर्देशक सिद्धान्तों के अनुकूल बनाये तथा विरोधाभासों को दूर करें। संविधान की व्याख्या में संसद एवं न्यायपालिका के विरोधों को दूर किया जाना चाहिए।

यहां पर मैं इस बात का भी जिक्र कर देना चाहता हूं कि अपने स्वयं की मेधा से 10 वर्ष पूर्व 24 जनवरी, 1966 को हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री के पद पर आरूढ़ हुई है। तब से निरन्तर अपनी सम्पूर्ण शक्ति, निष्ठा, त्याग और तपस्या से समाजवाद, प्रजातन्त्र और धर्म निरपेक्षता के स्वप्न को साकार बनाने में प्राण-प्रण से जुटी हुई हैं। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के महान नेतृत्व में समाजवाद के मार्ग पर तेजी से चलते रहने तथा अपने आदर्शों-वायदों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए एक 20 सूत्री प्रगतिशील क्रान्तिकारी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। यह आर्थिक कार्यक्रम गरीबी और असमानता से छुटकारा पाने की राष्ट्र की गम्भीर चिरस्थायी संकल्प की अभिव्यक्ति है। इसे ज्यादा तेज रफ्तार और विशेष कार्य क्षमता के साथ पूरा करना होगा। आपातकाल के दौरान देश में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हुए हैं। जनता ने उत्साह के साथ नये वातावरण का स्वागत किया है। अद्वितीय प्रतिभासम्पन्न प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की इस दूर-दृष्टि से कार्य करने व देश को विनाश से बचाने के लिए भारतीय जनता सदैव उनकी ऋणी रहेगी।

आर्थिक असमानता क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। प्रधान मंत्री ने बहुत ही सोच समझकर परिस्थिति के अनुकूल 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा रक्तहीन क्रान्ति का सूत्रपात किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन का एक क्रान्तिकारी दौर आता है। उस समय इतिहास की अनिवार्यता और समय की पुकार के अनुरूप समाज को सक्षम और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की होती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं। भारत की एकता, अखंडता और लोकतन्त्र और स्थिरता की एकमात्र प्रतीक हमारी प्रधान मंत्री है और यदि इस प्रकार के सबल सुयोग्य नेतृत्व में वांछित आर्थिक परिवर्तन नहीं आता है तो "अभी नहीं, तो कभी नहीं" वाली बात चरितार्थ हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोक नाथ मिश्र) : श्री सिसोदिया जी, आपका भाषण तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब 5 बज चुके हैं। इसलिए the House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Saturday, the 24th January, 1976.

MGIPRRND—45RSS/75—Sec. II (F/s)—6-3-76—595 Copies.